



दिनांक: 24.12.2025

-प्रेस नोट-

थाना बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा ऑपरेशन क्लीन-2 के अन्तर्गत माल मुकदमाती 29 वाहनों की नीलामी कर कुल 2,71,400/- रुपये (जीएसटी सहित) का राजस्व प्राप्त किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में मालों के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन क्लीन-2" के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर/ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी सदर (लिंक अधिकारी) सुश्री प्रिया यादव के कुशल नेतृत्व में नायब तहसीलदार श्री देवेन्द्र कुमार व सहायक सम्भागीय अधिकारी सहारनपुर व थानाध्यक्ष श्री अक्षय शर्मा थाना बिहारीगढ़ की मौजूदगी में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना बिहारीगढ़ पर खड़े मुकदमाती कुल 29 वाहनों जिनकी आरटीओं कार्यालय द्वारा मूल्यांकन धनराशि 1,67,000/- रुपये निर्धारित की गई थी। जिनकी आज दिनांक 24.12.2025 को थाना बिहारीगढ़ पर नीलामी करायी गई। जिसमें कुल 34 बोली दाताओं द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली लगायी गई। बोली दाता श्री नौशाद पुत्र कालू निवासी ननौता टोकन नं 01 द्वारा उच्चतम बोली 2,30,000/- रुपये लगायी गयी। उच्चतम बोली दाता के हक में नीलामी छोड़ी गयी। कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 (41,400/-रुपये) के साथ कुल धनराशि 2,71,400/- रु0 राजकोष में जमा की जायेगी। कुल 29 वाहनों का निस्तारण कराया गया।

नीलामी हुए वाहनों का विवरण:-

- 26 वाहन (दुपहिया)
- 03 वाहन (चार पहिया)

नीलामी कराने वाली टीम का विवरण:-

- सुश्री प्रिया यादव, क्षेत्राधिकारी सदर।
- श्री देवेन्द्र सिंह, नायब तहसीलदार-बेहट, सहारनपुर।
- सहायक सम्भागीय निरीक्षक आर0टी0ओ0 कार्यालय सहारनपुर।
- श्री अक्षय शर्मा, थानाध्यक्ष, थाना-बिहारीगढ़, सहारनपुर।
- है0का0 386 टी0सी0 सिरोही(एच0एम0), थाना बिहारीगढ़, सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 24.12.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा **06 वांछित अभियुक्तगण/फर्जी जामिनान को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि दिनांक 22.12.2025 को उठनी 0 श्री रविन्द्र कसाना थाना देवबन्द सहारनपुर की तहरीर के आधार पर बाबत अभियुक्तगण द्वारा डकैती, लूट, हत्या, चोरी, नकबजनी, गेंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, अवैध शस्त्र आदि के अभियुक्तगण के साथ संगठित होकर जमानतें मात्र अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के उद्देश्य से कूटचरित दस्तावेजों एवं धोखाधड़ी कर षड्यन्त्र करके अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से तथा जमानतदारों द्वारा मा 0 न्यायालय को गुमराह कर पूर्व में लगी जमानतों का मा 0 न्यायालय में कोई उल्लेख न कर फर्जी तरीके से जमानत लेने के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु 030 सं 0- 1121/2025 धारा 319(2) /318(4) /338/ 336(3)/ 340(2)/111/61(2) बीएनएस बनाम अशोक आदि 60 अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा फर्जी जामिनान के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक अमरपाल शर्मा थाना देवबंद के कुशल नेतृत्व फर्जी जामिनान/अभियुक्त 1.गोविन्द पुत्र सूरजभान निवासी ठोकरपुर थाना देवबंद जनपद सहारनपुर 2.सतीश पुत्र सूरजभान निवासी उपरोक्त 3.ऋषिपाल पुत्र टोनी निवासी उपरोक्त 4.राकेश पुत्र छतरु निवासी मानकी थाना देवबंद जनपद सहारनपुर 5.ओमप्रकाश पुत्र नोती सिंह निवासी तल्हेड़ी खुर्द थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 6.अययूब पुत्र महबूब निवासी मौहल्ला अब्दुलहक थाना देवबन्द सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. गोविन्द पुत्र सूरजभान निवासी ठोकरपुर थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
2. सतीश पुत्र सूरजभान निवासी ठोकरपुर थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
3. ऋषिपाल पुत्र टोनी निवासी ठोकरपुर थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
4. राकेश पुत्र छतरु निवासी मानकी थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
5. ओमप्रकाश पुत्र नोती सिंह निवासी तल्हेड़ी खुर्द थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
6. अययूब पुत्र महबूब निवासी मौहल्ला अब्दुलहक थाना देवबन्द सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उठनी 0 श्री रणवीर सिंह थाना देवबन्द सहारनपुर
2. उ.नि. श्री मलखान सिंह थाना देवबन्द सहारनपुर
3. उठनी 0 श्री गोविन्द शरण थाना देवबन्द सहारनपुर

4. उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर
5. है0का0 1311 अनिल कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर
6. है0का0 272 जुगेन्द्र मलिक थाना देवबन्द सहारनपुर
7. का0 675 सुरेशचन्द्र थाना देवबन्द सहारनपुर
8. का0 2409 सुशील कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर
9. का0 2284 श्रीकृष्ण थाना देवबन्द सहारनपुर
- 10.का0 2253 संजय कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर



दिनांक: 24.12.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तरप्रदेश

थाना नकुड़/स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा हत्या की घटना का खुलासा करते हुये 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 08.11.2025 को वादी श्री सुशील कुमार पुत्र धर्मसिंह निवासी ग्राम टिडौली थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर की तहरीरी सूचना बावत अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी के पिता धर्मसिंह पुत्र जगन सिंह की गोली मारकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु030050 505/25 धारा 103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात अभियुक्त पंजीकृत किया गया था ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त अभियोग के खुलासे हेतु टीम गठित करते हुए घटना का अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 24.12.2025 को स्वाट व सर्विलांस टीम सहारनपुर के सहयोग से उक्त घटना का खुलासा करते हुए **अभियुक्त साबिर पुत्र नवाब निवासी ग्राम टिडौली थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर एवं अभियुक्ता वन्दना पत्नी प्रदीप कश्यप निवासी ग्राम टिडौली थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर को पशु पैठ, बिजली घर के पास करन्बा गंगोह से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त साबिर के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा 315 बोर व एक खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किये गये तथा साक्ष्य संकलन व बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढ़ौत्तरी की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।**

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त साबिर ने पूछताछ पर बताया है कि मृतक धर्म सिंह, वन्दना का आचरण ठीक न होने के कारण उसे गांव में रहने से मना करता था तथा उसकी काफी बदनामी कर रहा था इसलिये मैनें वन्दना के कहने पर अपने एक साथी के साथ मिलकर दिनांक 07/08.11.2025 की रात्रि को नवाजपुर वाले जंगल के रास्ते से आकर रात्रि में करीब 2 बजे धर्म सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी और अपने साथी सहित फरार हो गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- साबिर पुत्र नवाब निवासी ग्राम टिडौली थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
- वन्दना पत्नी प्रदीप कश्यप निवासी ग्राम टिडौली थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 तमंचा .315 बोर
- 01 खोखा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
- उ0नि0 श्री नीरज कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
- म0उ0नि0 मनवीरी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
- है0का0 258 अजीत सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

5. है0का0 650 वरणकार सिंह थाना नकुड जनपद सहारनपुर
6. का0 1259 विनीत तोमर थाना नकुड जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 24.12.2025

-प्रेस नोट-

थाना बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा ऑपरेशन क्लीन-2 के अन्तर्गत 08 आबकारी माल एवं 25

अन्य माल मुकदमाती का कराया गया विनिष्टिकरण

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में मालों के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन क्लीन-2" के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर/ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी सदर (लिंक अधिकारी) सुश्री प्रिया यादव के कुशल नेतृत्व में नायब तहसीलदार श्री देवेन्द्र कुमार व वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी द्वारा नामित एवं थानाध्यक्ष श्री अक्षय शर्मा थाना बिहारीगढ़ की मौजूदगी में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना बिहारीगढ़ पर 08 आबकारी माल जिनकी कीमत 12,640/- रुपये एवं 25 अन्य माल मुकदमाती का विनिष्टिकरण कराया गया।

विनिष्टिकरण का विवरण:-

- 08 आबकारी माल
- 25 अन्य माल मुकदमाती

विनिष्टिकरण करने वाली टीम का विवरण:-

1. सुश्री प्रिया यादव क्षेत्राधिकारी सदर।
2. श्री देवेन्द्र सिंह, नायब तहसीलदार-बेहट, सहारनपुर।
3. वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी द्वारा नामित अभियोजन कार्यालय सहारनपुर।
4. श्री अक्षय शर्मा, थानाध्यक्ष, थाना-बिहारीगढ़, सहारनपुर।
5. है0का0 386 टी0सी0 सिरोही(एच0एम0), थाना बिहारीगढ़, सहारनपुर।



दिनांक- 24.12.2025

-प्रेस नोट-

थाना साइबर क्राइम द्वारा साइबर फ्रॉड मे ठगी गयी 82,500/-रुपये की शत-प्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस

घटना का विवरण:-

दिनांक 16.10.2025 को वादिया बबीता पत्नी देवेन्द्र सिंह द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादिया से APK FILE डाउनलोड कराकर वादिया के खातों से ऑनलाइन धोखाधड़ी कर ₹ 82,500/- निकाल लिये गये थे। जिसके सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर पर मु03003048/2024 धारा 318(4), 319(2) बीएनएस, 66डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्राड में ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी (साइबर अपराध) एवं क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री इन्द्रेश सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए ठगी गयी धनराशि को सम्बन्धित बैंक होल्ड कराया गया था।

इसी क्रम में उपरोक्त अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 24.12.2025 को आवेदिका बबीता उपरोक्त की साइबर फ्रॉड के माध्यम से ठगी गयी राशि 82,500/- रुपये की शत-प्रतिशत धनराशि पीडिता के खाते में वापस करायी गयी। पीडिता द्वारा धनराशि खाते में वापस पाकर सहारनपुर पुलिस व थाना साइबर क्राइम पुलिस का आभार प्रकट किया।

धनराशि वापस कराने वाली पुलिस टीम:-

- प्रभारी निरीक्षक श्री इन्द्रेश सिंह, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
- विवेचक निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
- उ0नि0 श्री साबिर अली थाना, साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
- है०का० 525 हरिओम गोस्वामी, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
- है०का० 1203 विजय सिंह, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
- है०का० 437 मनोज कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर

CAUTION- किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजों से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या WWW.CYBERCRIME.GOV.IN पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराये।



दिनांक: 24-12-2025

-प्रेस नोट-

थाना बेहट पुलिस द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 20.06.2025 को ग्राम शेखपुरा में एक महिला द्वारा आत्महत्या करने की सूचना पर थाना पुलिस द्वारा महिला के शव को कब्जे में लेकर पंचातनामा की कार्यवाही करते हुए पोस्टमार्टम कराया गया था। दिनांक 22.06.2025 को वादिया श्रीमती सुष्मा पत्नी स्व0 राकेश निरो ग्राम कपूरी थाना नकुड जनपद सहारनपुर द्वारा थाना बेहट पर तहरीर देकर खुद की पुत्री श्रीमती बाबुल की ससुरालीजन द्वारा हत्या कर देने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0- 259/25 धारा- 103(1)/85/3(5) बीएनएस व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम पिंकु आदि 05 अन्य के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया। दौराने विवेचना धारा ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम व 103(1) बीएनएस का अपराध होना न पाये जाने पर उक्त धाराओं का लोप करते हुए धारा 108 बीएनएस की बढ़ोतरी की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त पिंकु पुत्र समय सिंह निवासी ग्राम शेखपुरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर को आज दिनांक 24.12.2025 को ग्राम शेखपुरा से काँसेपुर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

पिंकु पुत्र समय सिंह निरो ग्राम शेखपुरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
- का0 2329 अनिल कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 24-12-2025

-प्रेस नोट-

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा गिरोह बनाकर भौतिक व आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिये व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर लोगों से लाखों रुपये हड्डपने जैसा जंघन्य अपराध करने वाले 05 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आम जनता से धोखाधड़ी कर आर्थिक व भौतिक लाभ अर्जित करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह श्री पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में दिनांक 23.12.2025 को थाना गंगोह पर मु030स0 617/25 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत गैंग लीडर 1.बबलू शर्मा पुत्र विनोद शर्मा निवासी ग्राम बीनपुर थाना गंगोह, जनपद सहारनपुर सहित उसके सह अभियुक्तगण 2.सुखपाल उर्फ अनिल पुत्र बीरबल 3.विनोद शर्मा पुत्र बीरबल 4.संदीप पुत्र पवन सिंह निवासीगण ग्राम बीनपुर थाना गंगोह तथा 5.प्रवीण कुमार पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम मनोहरा थाना तीतरो, जनपद सहारनपुर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। उक्त अभियुक्तों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर आम जनता के व्यक्तियों से लाखों रुपये की ठगी कर आर्थिक व भौतिक लाभ अर्जित करने जैसे जंघन्य अपराध कारित किए गए हैं। अभियुक्तों की आपराधिक गतिविधियों से क्षेत्र में भय एवं असुरक्षा का माहौल उत्पन्न हुआ, जिसके दृष्टिगत उनके विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कठोर वैधानिक कार्यवाही की गई है। उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना गंगोह पर पूर्व से भी विभिन्न अभियोग पंजीकृत हैं। पुलिस द्वारा गिरोह की गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखते हुए आगे की विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त बबलू शर्मा का आपराधिक इतिहास:-

- मु030स0 321/2016 धारा 147/148/149/323/504/325/324 भादवि थाना गंगोह सहारनपुर
- मु030स0 131/2024 धारा 323/406/420/452/504/506 भादवि थाना गंगोह सहारनपुर
- मु030स0 153/2025 धारा 406/420/467/468/471/504/506 भादवि थाना गंगोह सहारनपुर
- मु030स0 177/2024 धारा 376/406/420 भादवि थाना गंगोह सहारनपुर
- मु030स0 344/2025 धारा 316(2)/318(4)/333/351(2)/352 बीएनएस थाना गंगोह सहारनपुर

अभियुक्त विनोद शर्मा का आपराधिक इतिहास:-

- मु030स0 321/2016 धारा 147/148/149/323/504/325/324 भादवि थाना गंगोह सहारनपुर
- मु030स0 153/2025 धारा 406/420/467/468/471/504/506 भादवि थाना गंगोह सहारनपुर
- मु030स0 182/2008 धारा 323/324/504/506 भादवि थाना गंगोह सहारनपुर

अभियुक्त सुखपाल उर्फ अनिल का आपराधिक इतिहास:-

- मु030स0 321/2016 धारा 147/148/149/323/504/325/324 भादवि थाना गंगोह सहारनपुर
- मु030स0 153/2025 धारा 406/420/467/468/471/504/506 भादवि थाना गंगोह सहारनपुर

अभियुक्त संदीप का आपराधिक इतिहास:-

- मु030स0 153/2025 धारा 406/420/467/468/471/504/506 भादवि थाना गंगोह सहारनपुर

अभियुक्त प्रवीण कुमार का आपराधिक इतिहास:-

- मु030स0 153/2025 धारा 406/420/467/468/471/504/506 भादवि थाना गंगोह सहारनपुर



दिनांक: 24-12-2025

-प्रेस नोट-

थाना कुतुबशेर साइबर टीम द्वारा साइबर फ्रॉड मे ठगी गयी 19,000/-रुपये की शत-प्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस

अवगत कराना है कि दिनांक 01.07.2025 को आवेदक रविन्द्र सैनी पुत्र श्री महेन्द्र सिंह निवासी लक्कड माजरा न्यू शारदा नगर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर के साथ अज्ञात व्यक्ति द्वारा आवेदक के एकाउन्ट से 19,000/- रुपये धोखाधड़ी करके निकाल लेने के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर साइबर कम्प्लैन्ट नम्बर 23107250093351 प्राप्त हुयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्राड में ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच०एन० सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा थाना स्थानीय पर उक्त शिकायत में प्रभावी कार्यवाही करते हुये विधिक कार्यवाही के उपरान्त व फ्रॉड में गयी शत-प्रतिशत धनराशि 19,000/- रुपये पीडित रविन्द्र सैनी उपरोक्त के खाते में धनराशि वापस करायी गयी है। पीडित रविन्द्र सैनी उपरोक्त के द्वारा थाना साइबर टीम व सहारनपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया है।

धनराशि बरामद कराने वाली टीम-

- प्रभारी निरीक्षक एच०एन० सिंह थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर।
- अति० निरीक्षक कवंरपाल सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
- उ०नि० कृष्ण कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
- है०का० 809 विनोद कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
- है०का० 886 रीतू ढाका थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
- का० 2402 हरिओम कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 24-12-2025

-प्रेस नोट-

थाना गंगोह पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 23.12.2025 को थाना गंगोह क्षेत्र में संगठित गिरोह 1.बबलू शर्मा पुत्र विनोद शर्मा निवासी ग्राम बीनपुर थाना गंगोह सहारनपुर (गैंगलीडर) 2. सुखपाल उर्फ अनिल पुत्र बीरबल निवासी ग्राम बीनपुर थाना गंगोह सहारनपुर (सहअभियुक्त) 3. विनोद शर्मा पुत्र पुत्र बीरबल निवासी ग्राम बीनपुर थाना गंगोह सहारनपुर (सहअभियुक्त) 4. संदीप पुत्र पवन सिंह निवासी ग्राम बीनपुर थाना गंगोह सहारनपुर (सहअभियुक्त) 5.प्रवीण कुमार पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम मनोहरा थाना तीतरो सहारनपुर (सहअभियुक्त) बनाकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर आम जनता के व्यक्तियों से लाखों रुपये हड़पकर भौतिक व आर्थिक लाभ अर्जित करने वाले उपरोक्त गिरोह के विरुद्ध थाना गंगोह पर **मु0अ0सं0 617/25** धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु वांछित/वारण्टी/गैंगस्टर आदि अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.12.2025 को पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना गंगोह पर पंजीकृत **मु0अ0सं0 617/25** धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 में वांछित अभियुक्तगण 1.सुखपाल उर्फ अनिल पुत्र बीरबल निवासी ग्राम बीनपुर थाना गंगोह सहारनपुर 2.विनोद शर्मा पुत्र बीरबल निवासी ग्राम बीनपुर थाना गंगोह सहारनपुर को मुखबिर की सूचना पर विद्यार्थी तिराहे से अभियोग पंजीकृत होने के मात्र 24 घण्टे के अंदर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

- सुखपाल उर्फ अनिल पुत्र बीरबल निवासी ग्राम बीनपुर थाना गंगोह सहारनपुर।
- विनोद शर्मा पुत्र पुत्र बीरबल निवासी ग्राम बीनपुर थाना गंगोह सहारनपुर।

अभियुक्त सुखपाल उर्फ अनिल का आपराधिक इतिहास:-

- मु0अ0स0 321/2016 धारा 147/148/149/323/504/325/324 भादवि थाना गंगोह सहारनपुर।
- मु0अ0स0 153/2025 धारा 406/420/467/468/471/504/506 भादवि थाना गंगोह सहारनपुर।

अभियुक्त विनोद शर्मा का आपराधिक इतिहास:-

- मु0अ0स0 321/2016 धारा 147/148/149/323/504/325/324 भादवि थाना गंगोह सहारनपुर।
- मु0अ0स0 153/2025 धारा 406/420/467/468/471/504/506 भादवि थाना गंगोह सहारनपुर।
- मु0अ0स0 182/2008 धारा 323/324/504/506 भादवि थाना गंगोह सहारनपुर।



दिनांक: 24-12-2025

थाना मण्डी एन्टीरोमियों पुलिस टीम द्वारा महिलाओं पर अश्लील फब्बितियां कसने वाले 05 मनचले अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में महिलाओं की सुरक्षा हेतु चलाये जा रहे अभियान “मिशन शक्ति फेज-05” के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.12.2025 को थाना मण्डी एन्टीरोमियों टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रताप नगर चौराहा व कंबोह पुल पर आने जाने वाली महिलाओं को देखकर अश्लील कमेंट व अश्लील फब्बितियां कसने वाले 05 मनचलों को गिरफ्तार कर थाना मण्डी पर मु030सं0-560/25 व मु030सं0-561/25 धारा 296 बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण (सम्बन्धित मु030सं0-560/25 धारा 296 बीएनएस)

- फरहान पुत्र नबाव निवासी संगम पैलैस खाताखेड़ी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
- अबूजर पुत्र दिलनवाज निवासी धोबीवाला मण्डी समिति थाना मण्डी जनपद सहानपुर।

गिरफ्तार अभियुक्तगण (सम्बन्धित मु030सं0-561/25 धारा 296 बीएनएस)

- आतिफ पुत्र लियाकत अली निवासी प्रतापनगर खेडा आरा मशीन थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
- इमरान पुत्र जमशेद निवासी मेहन्दी सराय थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
- अबूजर पुत्र जमशेद निवासी पक्का बाग थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 प्रीती, एन्टीरोमियो टीम प्रभारी कोतवाली मण्डी, जनपद सहारनपुर।
- हे0का0 07 महबूब अली एन्टीरोमियो टीम कोतवाली मण्डी, जनपद सहारनपुर।
- उ0नि0 श्री उपेन्द्र सिंह चौकी प्रभारी शाहबलोल, कोतवाली मण्डी, जनपद सहारनपुर।
- हे0का0 237 योगन्द्र सिंह कोतवाली मण्डी, जनपद सहारनपुर।
- का0 2389 नरेश कुमार कोतवाली मण्डी, जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-



दिनांक- 24.12.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

**मिशन शक्ति फेज-05 के अन्तर्गत थाना मण्डी की मिशन शक्ति पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही
कर मात्र 02 घंटे में गुमशुदा बच्चे को सकुशल परिजनों से मिलाया □**

अवगत कराना है कि दिनांक **24.12.2025** को समय करीब **14:15** बजे, थाना मण्डी, जनपद सहारनपुर की **मिशन शक्ति फेज-05** टीम क्षेत्र में भ्रमणशील थी। इसी दौरान प्रताप नगर चौराहे पर लगभग **07** वर्ष का एक नाबालिंग बच्चा मिला, जो अपना नाम **अज्जू** बता रहा था, परन्तु अपने पिता का नाम एवं पता सही-सही नहीं बता पा रहा था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर निर्देशन में **ऑपरेशन मुस्कान** अभियान के अन्तर्गत, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक **श्री रोजन्त त्यागी** के कुशल नेतृत्व में थाना मण्डी की मिशन शक्ति फेज-05 पुलिस टीम द्वारा तत्परता से कार्यवाही की गई। पुलिस टीम द्वारा मात्र **02** घंटे के भीतर गुमशुदा नाबालिंग की पहचान सुनिश्चित करते हुए बच्चे की सही जानकारी प्राप्त की गई। जांच के दौरान बच्चे की पहचान अजमल पुत्र वासिद, निवासी ग्राम हरडाखेड़ी, थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर के रूप में हुई। तत्पश्चात ग्राम हरडाखेड़ी में संपर्क स्थापित कर बच्चे के माता-पिता को अवगत कराया गया तथा नियमानुसार आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए नाबालिंग बच्चे को उसकी माता नसरीन पत्नी वासिद निवासी हरडाखेड़ी थाना चिलकाना सहारनपुर की सुपुर्दगी में सकुशल सौंप दिया गया।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- निरीक्षक **श्री सिराजुद्दीन** थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
- म0है0का0 885 सोनी यादव थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
- है0का0 09 महबूब अली थाना मण्डी सहारनपुर